न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 193/2017–18

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

सरवन भुकता वो किरण भकता – विक्रेता

सत्येन्द्र कुमार राम – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
26.10.20	**आदेश**	

आवेदक 1. सरवन भुकता पिता स्व0 मंगल भुकता वो 2. किरण भकता पिता स्व0 धनुंजय भकता ग्राम–अंगराबारी, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने सत्येन्द्र कुमार राम पिता स्व0 शिद चरण राम ग्राम–गोबिन्दपुर, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
अंगराबारी	08	17	18	0.08
			19	0.09
			20	0.06
			21	0.13
				0.36

उपरोक्त वाद में चरका भोगता, भोदरो भोगता एवं खुदु प्रधान सभी पिता बुधराम भोकता द्वारा आपत्ति किया गया है। आपत्ति आवेदन में बताया गया है कि सरवन भुकता वो किरण भकता ने उत्तराधिकारी बदलते हुए गलत तरीके से उक्त भूमि का बिक्री करना चाहते है। आपत्तिकर्ता के पिता बुधराम भोगता भैयद होने के कारण खाता नं0 17 के सम्पूर्ण संपत्ति पर स्वामित्व एवं हक अधिकार प्राप्त हुआ तथ दखलकार हुए। बुधराम भोगता के मरनोपरांत आपत्तिकर्ता गण स्वामित्व एवं हक अधिकार सहित दखलकर हुए तथा चले आ रहे है।

आपत्ति पर सुनवाई हेतु विक्रेतागण को नोटिस निर्गत किया गया परन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए पुनः निबंधित डाक द्वारा विक्रेतागण को नोटिस निर्गत किया गया जो डाक द्वारा यह लिख कर वापस कर दिया कि पाने वाला यहाँ पर नहीं रहते है। इससे स्पष्ट होता है कि विक्रेतगण गलत तरीके से उपरोक्त भूमि का बिक्री करना चाहते थे।

अतः विक्रेता आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

26/10/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

26/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।